

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 118/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. किशनलाल पिता रूपचन्द जाट (कटारिया) निवासी पोटलां डेलाणा तहसील सहाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जोशी
2. रतनलाल पिता गोपीलाल सुथार
3. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भैरूलाल सुथार
4. ओमप्रकाश गोदपुत्र भंवरलाल जोशी
सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 31/07/2019

:: आदेश ::


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3648 रकबा 0.01 हे0 3655 रकबा 0.31 हे0 3657 रकबा 0.34 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 200 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीसंख्या 1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढी किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं जाहीर की गई, जिसका अंकन फर्द अहकाम पर किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3648 रकबा 0.01 हे0 3655 रकबा 0.31 हे0 3657 रकबा 0.34 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 - (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सी0एल0शर्मा) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाडा)